

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/आंव./ICDS/18/21171 जयपुर, दिनांक: 5-2-18

उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग (संबंधित)

विषय:- नवनियुक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु बजट आवंटन वर्ष 2017-18 बाबत।

संदर्भ:- विभाग का पूर्व पत्रांक 117820-118082 दिनांक 2.8.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से नवनियुक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को वेतन का भुगतान पूर्व आवंटन दिनांक 12.4.17 के परिशिष्ट-अ में संवेतन मद की 40 प्रतिशत राज्य निधि मद की आवंटित राशि से आहरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अतः संवेतन (एनटीटी) मद में अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु निम्नांकित प्रपत्र में जिलेवार संकलित सूचना अविलम्ब मेल से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि अतिरिक्त बजट आवंटन किया जा सके।

प्रपत्र

नाम जिला.....

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम परियोजना	मद	पूर्व आवंटन		व्यय		अतिरिक्त आवंटन हेतु मांग राशि		विशेष विवरण
			CA	SF	CA	SF	CA	SF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		संवेतन							
2		संवेतन एनटीटी	0.00	0.00	0.00		0.00		

वरिष्ठ लेखाधिकारी

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/आंव./ICDS/17/21171 जयपुर, दिनांक: 5-2-18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि संवेतन (एनटीटी) मद में अतिरिक्त आवंटन हेतु वांछित सूचना अविलम्ब संबंधित जिला कार्यालय को ही प्रस्तुत करावें, सूचना सीधे ही निदेशालय को प्रेषित नहीं की जावे।
- ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी